

पत्र संख्या-वि0(27)पे0को0-89/2015-

बिहार सरकार
वित्त विभाग

पटना दिनांक

प्रेषक,

शिव शंकर मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी कोषागार पदाधिकारी बिहार
सहायक महाप्रबंधक,
सी0पी0पी0सी0 भारतीय स्टेट बैंक,
जे0सी0रोड, पटना ।

महाप्रबंधक,
पंजाब नेशनल बैंक, पटना ।

विषय-
महाशय,

पेंशनरों के लिए ऑनलाईन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय अधिसूचना सं0-6761 दिनांक-31.07.15 के द्वारा बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम-215 में उपनियम (ख) जोड़कर ऑनलाईन जीवन प्रमाण पत्र पेंशन संवितरण अभिकरण द्वारा एक वैध प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करने का प्रावधान किया गया है । सुलभ प्रसंग हेतु उक्त अधिसूचना की प्रति संलग्न है ।

पेंशनरों से ऑनलाईन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आपके कोषागार/पेंशन प्रदायी बैंक द्वारा स्वीकार किया जा रहा है अथवा नहीं यदि इसे व्यवहार में नहीं लाया गया है तो कृपया इसे शीघ्र व्यवहार में लाया जाय तथा कार्रवाई से वित्त विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(शिव शंकर मिश्र)

सरका के विशेष सचिव ।

वि0, पटना दिनांक-13-4-17

ज्ञापांक- 291

प्रतिलिपि- श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सूचनार्थ तथा संलग्न वित्त विभागीय अधिसूचना सं0-6761 दिनांक-31.07.15, विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

सरका के विशेष सचिव ।

(M.B.)

12-4-17

अ धि सू च ना

पटना दिनांक-31/7/15

सं०-एम-4-07/2015...../वि०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कोषागार संहिता, 2011 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संहिता बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ।- (1) यह संहिता बिहार कोषागार (संशोधन) संहिता, 2015 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-205 के वर्तमान प्रावधान को उपनियम (क) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (ख) जोड़ा जायेगा:-

“(ख) पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी, जो अपना/अपनी पेंशन खाता का स्थानान्तरण उसी बैंक के एक शाखा से दूसरे शाखा (स्थानीय या अन्यत्रिक) में कराना चाहते हों, को वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था जिसमें स्थानान्तरण आवेदन केवल गृह शाखा में ही ग्रहण किया जाता है, के बदले दोनों शाखाओं में से किसी शाखा में अपना आवेदन देने का विकल्प होगा। स्थानान्तरण आवेदन में दोनों शाखा (नये एवं पुराने शाखा) की दोनों खाता संख्या एवं दोनों शाखाओं की संपर्क विवरणी का उल्लेख करना आवश्यक होगा। आवेदन प्राप्त करने वाली शाखा आवेदन को स्कैन करेगी एवं उसे सी०पी०पी०सी० पर रजिस्टर करेगी एवं बिना किसी व्यवधान के मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संवितरण की निरंतरता का समन्वय करेगी।”

3. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-215 के वर्तमान प्रावधान को उपनियम (क) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (ख) जोड़ा जायेगा:-

“(ख) आधार बायोमेट्रीक अधिप्रमाणन के फलस्वरूप सरकारी अभिकरण द्वारा जारी ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र भी (यह दस्तावेज वेबसाइट के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा, जिसे पृथक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा) पेंशन संवितरण अभिकरण द्वारा, बिना पेंशनभोगी के व्यक्तिगत उपस्थिति के या ऊपर निर्देशित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जीवन प्रमाण पत्र की मांग किए, एक वैध प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जायेगा।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(संजय कुमार सिंह)

सचिव (व्यय)

पटना, दिनांक.. 31/7/15

ज्ञापांक: सं०-एम-4-07/2015...../वि०

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पृथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

कृ०पू०उ०..

ज्ञापांक:-एम-4-07/2015...../वि०

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

31/07/15

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-07/2015...../वि०

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

31/07/15

सचिव (व्यय)